FR. FORM
(See S. R. vx below F R. 74)

FORM OF APPLICATION FOR LEAVE
अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र

Note - Item to 10 must be filled in by all applicants Gazested or non gazested Item 13 applies only in the case of gazested officers Item 14 & 15 apply in the case of non gazested officers.

1. Name of the applicant ....
   प्रार्थी का नाम
2. Leave Rules applicable ....
   अवकाश नियत प्रयुक्त
3 Post held ....
   पद
4. Department or office ....
   विभाग या कार्यालय
5. Pay ....
   चेतन
6. House rent allowance conveyance allowance ....
   मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता
   or other compensatory allowance drawn if any
   या अन्य मुआवजा भत्ता पद से सम्बन्धित
7. Nature and peland of leave applied ....
   अवकाश का प्रकार और अवधि
8. For and from which required ....
   किस दिनांक से किस दिनांक तक
9. Ground on which leave is applied for ....
   अवकाशका कारण
10. Date of retum from test loave ....
    विगत अवकाश का प्रकार और अवधि
11. Leave address if grouted ....
    अवकाश यदि स्वीकृत हो तो पता
12. I under take to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay commutes leave and that admissable during leave of half average pay/ Half Pay / leave which not have been admissable under the provision to R. R. 18(b) (II) M.B.R. 79 (c) of Rule II (c) o the revised leave Ruled 1934 Rule 93 (c) of the Rajasthan service rule has been applicable in the event of my retirment from service at the and or during the course of the leave............................

Date ....
दिनांक

(Signature of Applicant)
प्रार्थी के हस्ताक्षर

13. Remarks and Recommendation of the controling officer
    कण्ट्रोलिंग अधिकारी का विवरण या सिफारिश

Signature ....
Designation
पद

14. Report of the Audit Officer
    आडिट अधिकारी रिपोर्ट

Signature
हस्ताक्षर
Designation
पद

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–4/2019/1–15/क.क. भोपाल, दिनांक 06 अगस्त, 2019

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त संभागायुक्त,
4. समस्त कलेक्टर्स,
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषयः– हड़ताल पर गये शासकीय कर्मचारियों का हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में ।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 5–4/2019/क.क. दिनांक 08 मार्च, 2019

––0––

संदर्भित ज्ञापन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी निर्देश क्रमांक 3170/3440/2006/01/03, दिनांक 22/11/2006 की कण्डिका 2.3 को शिथिल करते हुए, विभिन्न शासकीय कर्मचारी संघों की मांगों के समर्थन में की गई हड़ताल के आव्हान में शामिल शासकीय सेवकों को हड़ताल अवधि का अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शेष सभी कर्मचारी संघों की मांगों के समर्थन में की गई हड़ताल के आव्हान में शामिल समस्त शासकीय कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल अवधि के लिए अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 5–4/2019/1–15/क.क. भोपाल, दिनांक 06 अगस्त, 2019

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव /निज सहायक, म.प्र.।
5. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर/भोपाल ।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर ।

C:\Users\R.K. Soni\Desktop\Mul\पत्र.doc

स्थाई निर्देश

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्र. 3170/3440/2006/1/3

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के संबंध में.

सन्दर्भः—इस विभाग का ज्ञाप क्र. सी. 9-2/90/3/1, दिनांक 2-2-91 क्र. सी 9-3/93/1/3, दिनांक 2-9-93, क्र. 1585/2615/2006/1/3, दिनांक 20 जुलाई, 2006 एवं क्र. 2147/3440/2006/1-3, दिनांक 6 अक्टूबर, 2006.

शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल तथा सामूहिक अवकाश के संबंध में संदर्भित पत्रों द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं. परन्तु संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा न तो इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है एवं न ही इस तरह के अवसरों पर अनुपस्थित कर्मचारी/अधिकारियों की जानकारी समय से शासन को भेजी जाती है. दिनांक 11-10-2006 को सामूहिक अवकाश बाबत् विभाग, विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आयुक्तों को दूरभाष पर स्मरण कराने के पश्चात् भी अधिकांश द्वारा जानकारी प्रेषित नहीं की गई है. साथ ही कार्यालयों में जानकारी हेतु सम्पर्क करने पर यह ज्ञात हुआ कि कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में उपस्थित भी नहीं थे. यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है. यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे अवसरों पर सभी प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें.

2. भविष्य के लिए इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे:—

2.1 सामूहिक अवकाश/हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी/अधिकारी कार्यालय आना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे इच्छुक अधिकारी/कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश लेने/हड़ताल पर जाने के लिए अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बाध्य नहीं किया जावे. इस संबंध में पूर्ण सतर्कता बरती जाकर ऐसे किसी भी प्रयास को अत्यन्त गंभीरता से लिया जावे.

2.2 शासकीय सेवकों के हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश के कृत्य म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आते हैं. इस प्रकार की अनुशासनहीता करने वालों पर गुणदोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए. अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने के अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे.

2.3 बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन देय नहीं होगा एवं न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किय जायेगा. इस अवधि का वेतन काटने का दायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा.

2.4 हड़ताल, धरना तथा समूहिक अवकाश की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानने, अवैतनिक/असाधारण अवकाश एवं अन्य किसी किस्म की छूट/ढील स्वीकार करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्णय लिया जावेगा.

2.5 प्रत्येक सामूहिक अवकाश/हड़ताल वाले दिवस पर समस्त विभागाध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि विभागाध्यक्ष कार्यालय की जानकारी संलग्न प्र रूप में उनके विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अनिवार्य रूप से दोपहर 12.00 बजे तक प्रेषित कर दी जाए.

2.6 विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का यह दायित्व होगा कि वे मंत्रालय स्थित अपने विभाग की एवं उनके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों की जानकारी प्रत्येक सामूहिक अवकाश/हड़ताल वाले दिवस पर संलग्न प्रारूप अनुसार दोपहर 2.00 बजे तक सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगे.

2.7 समस्त कलेक्टर जिले के समस्त कार्यालयों की एकजाई जानकारी (केवल एक प्रारूप में) दोपहर 12.00 बजे तक संकलित कर संलग्न प्रारूप अनुसार संभागीय आयुक्त को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे.

2.8 समस्त संभागायुक्त अपने संभाग की एवं संभाग के जिलों की जानकारी हड़ताल/सामूहिक अवकाश के दिवस पर दोपहर 2.00 बजे तक अनिवार्य रूप से दूरभाष एवं फेक्स/ई-मेल पर संलग्न प्रारूप अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगे.

2.9 मंत्रालय स्थित स्थापना शाखा 7 (1) द्वारा प्रत्येक सामूहिक अवकाश/हड़ताल वाले दिवस पर मंत्रालय के सभी कर्मचारियों की संलग्न प्रारूप में जानकारी संकलित कर शाखा-3 को दोपहर 2.00 बजे तक उपलब्ध कराई जावेगी.

3. उक्त निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किय जाना सुनिश्चित किया जावे.

हस्ता./-

(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ.क्र. 3170/3440/2006/1/3

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 2006

प्रतिलिपि :—

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.

2 सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.

3 सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.

4 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.

5 राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.

6 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.

7 प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

8 मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल.

9 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.

10 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

11 अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल.

12 महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.

13 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.

14 प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल

कार्यालय तहसीलदार तहसील तेन्दूखेडा जिला–दमोह

क्रमांक 212–क/आ0/कानूनगो/2023 तेन्दूखेडा, दिनांकः–17–10–23

//आदेश//

म0प्र0पटवारी संघ भोपाल के बैनर तले तहसील तेन्दूखेडा के समस्त पटवारीगण दिनांक 28 अगस्त/2023 से 28सितम्बर/2023 तक कलम बंद हडताल पर थे । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेडा के आदेश क्रमांक/209/आ0का0/2023 तेन्दूखेडा दिनांक 17–10–23 के द्वारा संलग्न आदेश अनुसार 37 पटवारीगणों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है ।

अतः बिल सूची अनुसार पटवारीगणों को माह सितम्बर/2023 का वेतन आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

तहसीलदार
तेन्दूखेडा जिला दमोह
(म.प्र.)

पृष्ठा0क्रमांक 213–क/आ0/कानूनगो/2023 तेन्दूखेडा, दिनांकः–17–10–23

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी महोदय तेन्दूखेडा की ओर सूचनार्थ ।
2– जिला कोषालय अधिकारी दमोह की ओर सूचनार्थ ।
3– राजस्व निरीक्षक मंडल तेन्दूखेडा/तेजगढ की ओर सूचनार्थ ।
4– समस्त पटवारीगणों की ओर सूचनार्थ ।

तहसीलदार
तेन्दूखेडा जिला दमोह
(म.प्र.)

कार्यालय तहसीलदार खुरई जिला सागर म0प्र0

EmailId-tahsildar.khurai@gmail.com Tele.07581-241032

क्रमांक क/1708/कानूनगो/2023

खुरई, दिनांक 16/10/2023

//आदेश //

म0प्र0 पटवारी संघ भोपाल के बैनर तले तहसील खुरई के पटवारीगण दिनांक 28.08.2023 से 28.09.2023 तक कलम बंद हड़ताल पर थे । अनुविभागीय अधिकरी (राजस्व) खुरई के आदेश क्रमांक/1693/आ0का0/तह0/2023 खुरई, दिनांक 12.10.2023 के द्वारा संलग्न आदेश अनुसार 52 पटवारीगणों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है ।

अतः बिल सूची अनुसार पटवारीगणों को माह–सितम्बर 2023 का वेतन आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

तहसीलदार
खुरई

पृ. क्रमांक /1708 कानूनगो/2023

खुरई दिनांक 16/10/2023

प्रतिलिपिः–

1. अनुविभागीय अधिकारी महोदय खुरई की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. जिला कोषालय अधिकरी सागर की ओर सूचनार्थ ।
3. राजस्व निरीक्षक मंडल खुरई/गढ़ौलाजागीर/खिमलासा की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त पटवारीगणों की ओर सूचनार्थ ।

तहसीलदार
खुरई

कार्यालय तहसीलदार बालाघाट

आदेश

कमांक / 119 / कानूनगो / 2023 बालाघाट दिनांक 26.10.2023

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक 1063 / 997 / 2022 / सात –5 भोपाल दिनांक 1.10.2023 के आदेश एवं कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख बालाघाट के पत्र क1510 / भू.अ / स्था2. / 2023 बालाघाट दिनांक 10.10.2023 के संदर्भित पत्र के द्वारा शासन द्वारा पटवारियों को मिलने वाले भत्तों के अतिरिक्त एग्रीस्टैक भत्ता प्रतिमाह रूपये 4000/देने तथा अतिरिक्त हल्का भत्ते में बढोत्तरी करते हुए रूपये 500/ के स्थान पर रूपये 1000/- करने की स्वीकृति प्रदान कि गई है।

अतः तहसीलदार बालाघाट के अंतर्गत पदस्थ समस्त हल्का पटवारीयों को संलग्न सूचि अनुसार एग्रीस्टैक भता 4000/ तथा अतिरिक्त हल्का भत्ता 1000/ स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार
बालाघाट

पृ0कमांक / 119 / कानूनगो / 2023 बालाघाट दिनांक 26.10.2023

प्रतिलिपिः–

1. अधिक्षक भू– अभिलेख बालघाट की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

तहसीलदार
बालाघाट

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) जबलपुर

आदेश

कमांक/ /तह. /का.गो./2023 जबलपुर, दिनॉक 06/10/2023

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. पटवारी संघ भोपाल के बैनर तले तहसील जबलपुर के समस्त पटवारी दिनांक 28 अगस्त 2023 से 28 सितंबर 2023 तक कलम बंद हडताल मे रहे। इनके द्वारा अर्जित अवकाश का आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

म.प्र. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) के पत्र कं. एफ-5/4/2019/1-15/ क.क भोपाल दिनांक 06.08.2019 के आधार पर हडताल अवधि को अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त पटवारियों का कुल 32 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार
जबलपुर

पृष्ठां.कं./ /तह./का.गो./2023 जबलपुर, दिनॉक 06/10/2023
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय जबलपुर को सादर सूचनार्थ।
2. नायब नाजिर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सर्व संबंधित श्री/श्रीमति/सुश्री .... को सूचनार्थ।

तहसीलदार
जबलपुर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उचेहरा, जिला सतना (म0प्र0)

क्रमांक 295 /आ0का0/तह0/2023

उचेहरा, दिनांक – 11/10/23

//आदेश//

म0प्र0 पटवारी संघ भोपाल के बैनर तले तहसील उचेहरा, जिला सतना (म0प्र0) के समस्त पटवारी गण दिनांक 28.08.2023 से 28.09.2023 तक कलमबंद हडताल में रहे है । इनके द्वारा उक्त अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

म0प्र0 शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) के पत्र क्रमांक–एफ–5/4/2019/1–15/क.क भोपाल दिनांक 06.08.2019 के आधार पर हडताल अवधि को अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई है ।

अतः म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के पालन में तहसील उचेहरा अंतर्गत हडतालरत समस्त पटवारियों का दिनांक 28.08.2023 से दिनांक 28.09.2023 तक कुल 32 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त अवधि का वेतन आहरण/भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग उचेहरा,
जिला सतना (म0प्र0)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग उचेहरा
जिला सतना (म0प्र0)

पृ0क्रमांक 295 /आ0का0/तह0/2023

उचेहरा, दिनांक – 11/10/23

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख) जिला सतना (म0प्र0) की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला सतना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
3. तहसीलदार तहसील उचेहरा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. आफिस कानून–गो/नायब नाजिर तहसील उचेहरा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
5. सर्व संबंधित पटवारी गण तहसील उचेहरा की ओर सूचनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग उचेहरा
जिला सतना (म0प्र0)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग उचेहरा
जिला सतना (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर(भू-अभिलेख) जिला उमरिया (म०प्र०)

क्र०/811 /18/भू-अभि०/ स्था० /2023 उमरिया, दिनांक 23/ 10 /2023

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
   अनुभाग- बांधवगढ़/मानपुर/पाली
2. तहसीलदार
   तहसील बांधवगढ/मानपुर/पाली/नौरोजाबाद/करकेली/बिलासपुर/चंदिया
   जिला उमरिया (म०प्र०)

विषय- हड़ताल अवधि का वेतन प्रदान किये जाने के संबंध में।

संदर्भ- 1. म०प्र० पटवारी संघ जिला उमरिया का पत्र क्रमांक 03/उमरिया/2023 उमरिया दिनांक 20-10-2023 ।

2. सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-5-4/2019/1-15/क०क भोपाल दिनांक 06-08-2019।

--oooo--

उपरोक्त विषयांतर्गत पटवारी संघ जिला उमरिया द्वारा पटवारियों को हड़ताल अवधि का वेतन प्रदाय करने बावत ज्ञापन प्राप्त हुआ है अतः तत्संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के तारतम्य हड़ताल अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर माह सितम्बर 2023 का वेतन आहरित करने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

(बुद्धेश कुमार वैद्य)
कलेक्टर
जिला उमरिया (म०प्र०)

पृ०क्र०/ 811 /18/भू-अभि०/ स्था० /2023 उमरिया, दिनांक 23/ 10 /2023

प्रतिलिपि-

1. म०प्र० पटवारी संघ जिला उमरिया (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला उमरिया (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला कटनी (म0प्र0)

क्रमांक 1203 /भू-अभि0/स्था0/2023 कटनी, दिनांक 16/10/2023

प्रति,

तहसीलदार (सर्व)
कटनी नगर/कटनी/रीठी/बडवारा/बरही/
विजयराघवगढ/स्लीमनाबाद/बहोरीबंद/ढीमरखेडा
जिला कटनी

विषय:- हड़ताल अवधि माह सितम्बर का वेतन एवं शासन द्वारा आदेशित एग्रीस्टैक भत्ता के 4000 रूपये व अतिरिक्त हल्का के 1000 रूपये प्रदान किये जाने बावत्।

संदर्भ:- म0प्र0 पटवारी संघ जिला कटनी के पत्र क्रमांक Q/कटनी/2023 दिनांक 13/10/2023

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से म0प्र0 पटवारी संघ जिला कटनी द्वारा दिनांक 28/08/2023 से 28/09/2023 तक की कलमबंद हड़ताल पर थे। हड़ताल अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर माह सितम्बर का वेतन आहिरत करने एवं पटवारियों को मिलने वाले भत्तों के अतिरिक्त, एग्रीस्टैक भत्ता एवं अतिरिक्त हल्का भत्ते में बढ़ोत्तरी की नियमानुसार कार्यवाही कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 3170/3440/2006/1/3 दिनांक 22/11/2006, मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) के पत्र क्रमांक एफ 5-4/2019/1-15/क.क. भोपाल दिनांक 06 अगस्त 2019 एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1063/997/2022/सात-5 दिनांक 01/10/2023 में वर्णित प्रावधानानुसार नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

16-10-23

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते-कलेक्टर, कटनी

पृ0क्र0 1203 /भू-अभि0/स्था0/2023 कटनी, दिनांक 16/10/2023

प्रतिलिपि,

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी की ओर सूचनार्थ।
2. जिला अध्यक्ष म0प्र0 पटवारी संघ जिला कटनी ओर सूचनार्थ।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते-कलेक्टर, कटनी

कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला–भोपाल

क्रमॉक 2016/भू–अभि/स्था0/2023 — भोपाल, दिनांक 21/10/2023

प्रति,

तहसीलदार,
तहसील– हुजूर/बैरसिया/कोलार,
जिला–भोपाल

विषयः– हडताल अवधि माह सितम्बर 2023 का वेतन भुगतान के संबंध में ।

विषयान्तर्गत के संबंध में लेख है कि जिले के पटवारी दिनांक 28/08/2023 से 28/09/2023 तक पटवारी कलम बंद हडताल पर थे । हडताल अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर माह सितम्बर 2023 वेतन आहरित करने का कष्ट करें ।

अतः आपकी तहसील अधीनस्थ पदस्थ पटवारियों के शासन आदेशानुसार पटवारियों हडताल अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृति कर वेतन भत्तो की राशि का भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।

प्रभारी अधिकारी,
भू–अभिलेख भोपाल

पृ0क्रमांक 2017/भू–अभि/स्था0/2023 — भोपाल दिनांक 21/10/2023

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, भू–अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उपायुक्त, भू–अभिलेख भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग हुजूर,/बैरसिया/कोलार की ओर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी,
भू–अभिलेख भोपाल

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला छतरपुर म0प्र0

क्रमांक/1750 /स्था0/भू-अभि0/2023 छतरपुर दिनांक 25 / 10/2023

प्रति,

तहसीलदार
तहसील- समस्त
जिला- छतरपुर (म0प्र0)

विषयः- **पटवारियों की हडताल अवधि का वेतन भुगतान के संबंध में।**

-:00:-

उपरोक्त विषयांतर्गत जिले अतंर्गत बडी संख्या में पटवारी दिनांक 28.08.2023 से 28.09.2023 तक की कलमबंद हडताल पर थे। हडताल अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर माह सितम्बर का वेतन आहरण करने के संबंध में म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक 3170/3440/ 2006/01/03 दिनांक 22.11.12006, एवं परिपत्र क्रमांक एफ 5-4/2019/1-15/क.क. भोपाल दिनांक 08 मार्च 2019 में दिये गये निर्देशों का अध्ययन कर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

अपर कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0

छतरपुर दिनांक 25/10/2023

पृ0क्रमांक/1756 /भू-अभि0/स्था0/2023

प्रतिलिपिः-

1. अनुविभागीय अधिकारी रा0 अनुभाग-समस्त जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला अशोकनगर

क्र.1353/भू-अभि/स्था./2023 अशोकनगर दिनांक18/10/2023

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
   अनुभाग- अशोकनगर, ईसागढ़, मुंगावली, चंदेरी
2. तहसीलदार,
   तहसील- अशोकनगर, शाढौरा, ईसागढ़, नईसराय, मुंगावली, बहादुरपुर, पिपरई, चंदेरी

विषय:- अशोकनगर जिले के समस्त पटवारियों का हड़ताल अवधि का वेतन प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ:- 1. पटवारी संघ का आवेदन क्रमांक 132/पट./2023 दिनांक 18/10/2023
2 सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप.क्रमांक एफ 5-4/2019/1-15/क.क भोपाल दिनांक 06/08/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला अध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ, शाखा अशोकनगर द्वारा हड़ताल अवधि का वेतन प्रदाय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मध्यप्रदेश पटवारी संघ के आव्हान पर अशोकनगर जिले के पटवारी 28 अगस्त 2023 से 28 सितम्बर 2023 तक हड़ताल पर रहे। पटवारी संघ द्वारा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) का पत्र क्रमांक एफ 5-4/2019/1-15/क.क भोपाल दिनांक 06 अगस्त 2019 के आधार पर हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत कर वेतन आहरण करने हेतु निवेदन किया गया है।

अत: उक्त संबंध में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) का पत्र क्रमांक एफ 5-4/2019/1-15/क.क भोपाल दिनांक 06 अगस्त 2019 के तारतम्य में नियमानुसार कार्यवाही करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र क्रमांक 1 व 2 की छायाप्रति।

18/10/2023
अपर कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक 1354/भू.अभि./स्था./2023 अशोकनगर दिनांक18/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. जिला अध्यक्ष, पटवारी संघ अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।

18/10/2023
अपर कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल दिनांक 01/10/2023

क्रमांक 1063/997/2022/सात-5, राज्य शासन एतद् द्वारा पटवारियों को मिलने वाले भत्तो के अतिरिक्त, एग्रीस्टैक भत्ता प्रतिमाह रूपये 4000/- देने तथा अतिरिक्त हल्का भत्ते में बढ़ोत्तरी करते हुए रूपये 500/- के स्थान पर प्रतिमाह रूपये 1000/- करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश मंत्रि-परिषद में लिये गये निर्णय जिसका आयटम क्रमांक 48 दिनांक 26 सितम्बर 2023 के पालन में जारी किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिनेश कुमार मौर्य)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

03 OCT 2023

10:59 am